Shri P. K. Ghosh: Is it a act that only 6 per cent of the available raw material, whether imported or indigenous, are being supplied to the small-scale industry, while a major portion of it, nearly 94 per cent, is supplied to the medium and large-scale industries? In view of the fact that the small scale industries have greater employment potential, will the Minister tell us whether he is going to raise the percentage of available raw materials for the small-scale industry?

Shri F. A. Ahmed: So ar as the small-scale industry is concerned, that is also taken into consideration on the basis of priorities and non-priorities. So far as the industry coming within the priority list is concerned, we are trying to provide raw materials on the same basis as has been done in the case of big industries and in order to make an assessment, what we have done is that thrice the rupee value which was being supplied to them in 1964-65 hes been supplied to these industries. So far as the non-priority list is concerned, the same pattern is followed as has been done in the case of big industry.

Shri M. Amersey: May I know why extra spindlage has been allowed to be imported when there is a *great scarcity of raw material in this* country?

Shri F. A. Ahmed: I am not in a position to reply to this question because this concerns the Commerce Ministry and this question also does not arise.

श्री शशी रंजन : अध्यक्ष महोदय कच्चे माल के आयात को लेकर काफ़ी गड़बड़ी है और काफ़ी ब्लैक मार्केट भी है जैसा कि अभी रेयन इत्यादि के माल के बारे में कहा गया है। क्या सरकार कच्चे माल के आयात की उसकी प्राथमिकता के आधार पर देखेगी और यह भी देखेगी कि इस देश में किस चीज की ज्यादा जरूरत है। जैसे पैस्टीसाइड्स की बहुत सी फ़ैक्टरियां कच्चे माल की वजह से बन्द हैं और नहीं चल रही हैं। क्या सरकार फिर से पुन: विचार कर के उनकी प्राथमिकता को तय करेगी और यदि करेगी तो कब तक करेगी ?

श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद: जरूर करेंगे और जल्दी करेंगे।

श्री हरदयाल देवगुण : अध्यक्ष महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है इन्होंने गलत जवाब दिया है।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था कैसे हो सकती है।

Shri Hardayal Devgun: On a point of order. The hon. Minister has made a wrong statement.

अध्यक्ष महोदय : तो व्यवस्था किधर है।

श्री हरदयाल देवगुण : उन्होंने पूछा था कि स्पिन्डल्ज की इम्पोर्ट की क्यों इजाजत दी है। इन्होंने कहा कि इसका हमारे मंत्रालय से सम्बन्ध नही है इसका कामर्स मन्त्रालय से सम्बन्ध है। स्पिन्डल्ज मंगाना या अधिक स्पिन्डल्ज लगाने की इजाजत देना इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट मन्त्रालय से सम्बन्ध रखता है कामर्स मन्त्रालय से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

Mr. Speaker: There is no point of order.

इस्पात के सौदों संबंधी जांच समिति

+

*171. श्री मधु लिमये
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री बाबूराव पटेल :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक लेखा समिति (तीसरी लोक सभा) के पचासवें प्रतिवेदन के अनुसरण में नियुक्त की गई इस्पात के सौदों सम्बन्धी जांच समिति ने अपने कार्य में अब तक क्या प्रगति की है ; और

(ख) क्या इस प्रतिवेदन को देखते हुए लोहा और इस्पात नियन्त्रक के कार्यालय को बन्द करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Chenna Reddy): (a) The Public Accounts Committee have recommended that all large licences|permits issued from as early as 1951-52 should be investigated into. Therefore, Considerable amount of data and information relating to licensing, import policies, rules and regulations which have been in force from time to time and the relevant statistical information have to be collected and investigations done. The Hon'ble Members will, therefore, appreciate that all this will take considerable time. It is, however, understood that the comprehensive inquiry has now got under way that of the approximately 3000 and odd licensing cases which would have to be examined, as many as 400 and odd have been looked into. Until the whole inquiry is completed, it would not be possible to make a qualitative assessment of the work so far done in terms of the reference to the Committee, *viz.* to fix responsibility in respect of irregularities which have led to a loss to Government or favour to individual parties and to recommend suitable departmental, civil or criminal action The Committee is presided over by a former Chief Justice of India and can be expected to finish the inquiry as quickly as possible. The Ministry will, however, keep in close touch with the Committee and facilitate its work in every possible way towards early completion.

(b) In view of the answer to (a) above, does not arise.

Dr. Ranen Sen: He is reading very fast.

Mr. Speaker: Long answers should be laid on the Table.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, अभी इन्होंने कहा कि जो जांच कमेटी कायम की गई है, उसके सामने इतने मामले, दस्तावेज और कागजात आयेंगे कि उसमें बहुत समय लगेगा। मैं भी इसको मानता हूं लेकिन मैं मन्त्री महोदय का ध्यान पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी की यह जो 50वीं रपट है, जिसके आधार पर कि यह कमेटी बैठी है, उसके पृष्ठ 96 की ओर खींचना चाहता हूं, जिसमें उन्होने कहा है कि इन राम कृष्ण कुलवन्त राय और अमीचन्द प्यारे लाल कम्पनियो ने क्या किया—

"In quite a few cases parties imported materials either without any valid licence or without any licence at all."

और आगे ये कहते हैं कि—

"It is strange that such unauthorised imports have mainly been made by the same group of firms and they have been condoned by the office of the Iron and Steel Controller."

यह बीमारी थी, अब उसके इलाज के बारे मे ये कहते हैं कि बहुत समय लगेगा। लेकिन इस बीच में अमीचन्द प्यारे लाल कम्पनी के इस्पात सम्बन्धी कई मामले सदन के सामने आये और अब यह बीमारी केवल आयरन एण्ड स्टील कन्ट्रोलर के दफ्तर में ही नही बल्कि अब यह सेण्ट्रल बोर्ड आफ़ रेवेन्यू और ला-मिनिस्ट्री में भी चली गई है। अमीचन्द प्यारेलाल कम्पनी के बारे में जो मामले मैंने पूछे थे उनके बारे मे अब कानून मन्त्रालय ने रेवन्यू बोर्ड के कहने पर राय दी है और क्या राय दी है ? वही बात जो आयरन एण्ड स्टील कन्ट्रोलर का कार्यालय करता था कि इन के पास लाइसेन्स नही होते थे या सही लाइसेन्स नही होते थे फिर भी इन को इजाजत दे देते थे। . .

Mr. Speaker: Let us come to the question.

श्री मधु लिमये : अब मेरा प्रश्न यह है कि—वित्त मन्त्री भी यहां पर बैठे हुए हैं—इस तरह से अमीचन्द प्यारेलाल या रामकृष्ण कुलवंतराय या इससे सम्बद्ध जो कम्पनियां हैं उनके द्वारा गलत ढंग से जो—लाइसेन्स के

बिना या गलत लाइसेन्स के आधार पर—सामान आयात किया जाता है उनको माफ़ी देने का काम सेण्ट्रल बोर्ड आफ़ रेवन्यू और ला-मिनिस्ट्री कर रही है तो क्या कानून मन्त्रालय अपनी राय को बेचने का काम भी करता है। क्या वित्त मन्त्री या इस्पात मन्त्री इस के बारे में कोई विचार करेंगे—यह पैट्रियोट में छपा है, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं तो आपके पास भेज देता हूं।

डा० चेन्ना रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल प्रोग्रेस के मुताल्लिक पूछा गया है और वही मैंने बताने की कोशिश की है। अब जो सवाल पूछा गया है वह कुछ गलत काम और गलत लाइसेन्सों के बारे में है, इस लिये इसका इस वक्त जवाब नहीं दे सकता हूं।

श्री मधु लिमये : ये जवाब कैसे नहीं दे सकते है। जिस गलत काम की जांच के लिये यह कमेटी बैठी है, उसी किस्म का काम उन्हीं कम्पनियों के संबंध में जब कानून मन्त्रालय और वित्त मन्त्रालय करते है तो क्या इसका जवाब नहीं आ सकता है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : इसमें वित्त मन्त्रालय क्या करता है, मेरी समझ में नहीं आया।

श्री मधु लिमये : आप सुन नहीं रहे थे, किसी दूसरे से बात कर रहे थे।

अमीचन्द प्यारेलाल कम्पनियों के द्वारा..

Mr. Speaker: He will please go to the second question.

Shri P Venkatasubbaiah: He is repeating the first question.

श्री मधु लिमये : उन्होंने कहा है कि समझ नहीं सके, इस लिये समझाना पड़ता है। वह दूसरे आदमी के साथ बोल रहे थे। सेण्ट्रल बोर्ड आफ़ रेवेन्यू ने कानून मन्त्रालय के पास राय मांगी थी, क्योंकि बिना सही लाइसेन्स के जो इस्पात और दूसरा सामान मंगाया गया था, उसके बारे में कस्टम के द्वारा जुर्माना किया गया था...

Mr. Speaker: He should put a separate question to the Finance Minister.

श्री मधु लिमये : उसी से जुड़ा हुआ है। इसी के बारे में जांच कमेटी की रपट दो साल बाद आयेगी। क्या इसका यह मतलब है कि इस बीच में वित्त मन्त्रालय कोई कार्यवाही नहीं करेगा ?

Mr. Speaker: If you put a separate, specific question, they may answer. There cannot be a discussion.

श्री मधु लिमये : ये सब प्रश्न तो मिले हुए हैं, इस में मेरा क्या दोष है।

Mr. Speaker: If you do not get the answer, there are other ways. If you put a question to the Steel Minister, he will reply to it. If he is not able to reply and asks for time, he will give better information later on. He cannot ask all the Ministers to go on answering, it is rather difficultit.

श्री मधु लिमये : मैं आप की राय मांगता हूं..

Mr Speaker: No discussion now. I am not prepared to have a discussion. Put a specific question if you feel like, or else I will ask somebody else. Let others also get a chance.

श्री मधु लिमये : मैं यह जानना चाहता हूं कि कानून मन्त्रालय से सेण्ट्रल बोर्ड आफ़ रेवेन्यू ने इन फर्मों के आयात के बारे में जो राय मांगी थी और जो राय मिली है, क्या उससे इस्पात मन्त्रालय अवगत है ? यदि हां, तो इस्पात मन्त्रालय इन फर्मों के खिलाफ़ कार्यवाही करने के लिये क्या कर रही है ? जांच कमेटी की रिपोर्ट तो दो साल में आयेगी।

डा० चेन्ना रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, वह सवाल इन्क्वायरी कमेटी के प्रोग्रेस से ताल्लुक रखता है, उसका मैंने जवाब दिया है। अब जो सवाल उठाया जा रहा है, उसका मैं इस वक्त बगैर नोटिस के जवाब नहीं दे सकूंगा।

श्री मधु लिमये : आपने सवाल पूछा है।

Mr. Speaker: He wants notice.

श्री मधु लिमये : नोटिस किस लिये ? सप्लिमेन्टरी काहे के लिये होती हैं । यहां यह परिपाटी है कि एक प्रश्न आता है तो उससे सम्बन्धित सभी पहलुओं पर हम सप्लिमेंटरी पूछते हैं । इस प्रश्न से ही सम्बन्धित यह मामला है । यह जुड़ा हुआ विषय है । कैसे जुड़ा हुआ है यह आप देखिये । यह मैं जानता हूं कि यह नये मन्त्री हैं और आन्ध्र प्रदेश से आते हैं । मैं इन को समय देने के लिये तैयार हूं । यह प्रश्न अगले शुक्रवार को ले लिया जाये । मैं सात दिन की मियाद देने के लिये तैयार हूं ।

Shrimati Lakshmikanthamma: Sir, on a point of order. Under our rules, a Member while speaking shall not refer to any matter which is under a judicial inquiry.

Mr. Speaker: There is no point of order here.

Shri Babarao Patel: The hon. Minister said that civil and criminal action may be taken in this case. Civil action is out of the question because the fraudulent transactions took place sometime in 1960 and so limitation of time will prevent civil action. As regards criminal action, I understand that a number of files having a bearing on these cases are missing. Is it a fact that many important files having a bearing on these cases have disappeared since April, 1966 and, if so how many files are missing?

Dr. Chenna Reddy: The question whether civil action or criminal action is to be taken is in the terms of reference and the Committee is necessarily to take that decision to take either civil or criminal action. It will naturally be governed by the provisions of the Act concerned. Nothing has come to my notice about missing files.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन फर्मों के विरुद्ध गम्भीर आरोप हैं और उन आरोपों की उच्च-स्तरीय जांच हो रही है, क्या यह सच है कि इस्पात मन्त्रालय की ओर से इन फर्मों को काली सूची में रखदिया गया है और जब तक जांच का परिणाम नहीं आ जाता तब तक इन फर्मों के साथ किसी तरह का सम्बन्ध नहीं रक्खा जायेगा ?

डा० चेन्ना रेड्डी : जो भी ब्लैक लिस्ट में हैं इससे पहले से और इस विचार के पूरे होने तक, उनमें कोई तबदीली करने का सवाल मन्त्रालय के सामने नहीं है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सवाल नहीं था । जांच होने से पहले जो काली सूची में है उनको आप जारी रख रहे हैं, क्या इसका मतलब यह है कि इन फर्मों के खिलाफ जांच भी चलती रहेगी और सरकार उन के साथ सम्बन्ध भी रखेगी ? जांच के दौरान उनके साथ सरकार सम्बन्ध कैसे रख सकती है ?

डा० चेन्ना रेड्डी : अगर ब्लैक लिस्ट में हैं तो उन को उसमें से निकालने का सवाल नहीं उठता ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : उन को काली सूची के रक्खा गया है या नहीं ? यदि रक्खा गया है तो उनके साथ सम्बन्ध कैसे हैं ?

श्री डा० रा० तिवारी : अभी मन्त्री जी ने कहा कि तीन चार हजार ऐसे केसेज हैं जिनकी एन्क्वायरी करनी होगी, और अभी तक 400 केसेज की एन्क्वायरी हो चुकी है । ऐसे केसेज जिन में कमीशन किसी निर्णय पर पहुंच चुका हो और उनका कोई कुसूर है आइन्दा अगर ऐसे केसेज के सम्बन्ध में कुसूर न हो तो उन को निर्दोष घोषित करेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि यदि कुसूर है तो उन पर कार्रवाई करने में क्या दिक्कत है ?

डा० चेन्ना रेड्डी इस सम्बन्ध में अभी कमीशन के जो टर्म्स आफ रिफरेंस हैं उनमें कहा गया है कि

"make a report or reports, interim or final to the Government"

यह इस कमेटी के अख्तियार का सवाल है। अगर वह मुनासिब और जरूरी समझते हैं कि वह कोई इंटेरिम रिपोर्ट दें जिससे कुछ फर्म्स पर असर पड सकता है तो यह उनके अख्तियार में है। उनकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को मिलने पर ऐक्शन लिया जायेगा।

Shri Surendranath Dwivedy: After the revelations made by the Public Accounts Committee regarding the Iron and Steel Controller's office, may I konw, when there is conclusive proof in that report, why is it that Government has failed to take any action in regard to the office of the Iron and Steel Controller? I realise that it may take some time for the committee to give the report But what prevents the Government from taking action on the basis of the proofs that they have in the report of the Public Accounts Committee itself regarding the Iron and Steel Controller's Office?

Dr. Chinna Reddy: When this and all the other matters relating to it have been referred to the Committee, the Government thought that they should wait for the report of the Committee till they took a final decision

An hon Member: How long?

Shri Surendranath Dwivedy: This is no reply I put exactly the same question.

Mr. Speaker: He is not able to give a time-limit

Shri Surendranath Dwivedy: But what prevents them from taking action on the basis of the facts already found by the Committee, against the Iron and Steel Controller's Office? He does not reply to the question. We know that it has been referred to the committee.

Dr. Chenna Reddy: It will lead to dual functioning, because it is not only the Iron and Steel Controller but there may be other cases which are apparentiy quite obvious, and therefore, the question that Government should have taken action, etc., can also be raised. So, the best thing is to leave it to the committee of which an ex-Chief Justice of the Sopreme Court is the Chairman.

श्री विभूति मिश्र : पिछले लोक-सभा सत्र में पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी की रिपोर्ट के सम्बन्ध मे अमीचन्द प्यारेलाल के मामले को लेकर काफी चर्चा हुई। फिर भी हमारी सरकार को चेतना नही हो रही है। जो जो बातें पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी ने कही हैं कि क्या क्या गडबडी हुई है और फर्म्स को ब्लैक लिस्ट किया गया है, उन सब बातो को ध्यान में रखते हुए सरकार कहती है कि यह टर्म्स आफ रिफरेंस में नही है। क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि सारी बातो की समग्र रूप से जाच करा कर एक इंटेरिम रिपोर्ट पेश करे और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट पेश करे? क्या सरकार इस बात का इरादा रखती है?

डा० चेन्ना रेड्डी : इंटेरिम रिपोर्ट के सम्बन्ध में मैंने टर्म्स आफ रिफरेंस पढ कर सुनाया। यह कमेटी के अख्तियार में है कि वह चाहे तो इंटेरिम रिपोर्ट दे सकती है।

श्री विभूति मिश्र प्वाइंट आफ आर्डर। पिछले सत्र में इस पर काफी चर्चा हुई थी और यह बड़ा भारी क्वश्चन है, फिर भी हमारी सरकार को चेतना नही हो रही है।

Mr. Speaker: Where is the point of order?

Shri Shashi Ranjan: The Minister does not give any hope that the Government is alert and alive to all that is going on in Parliament and in the country. That is the thing. He does not kindle any hope.

Mr. Speaker: He should not get up and shout like this. This is not the way.

डा० चेन्ना रेड्डी : इंटेरिम रिपोर्ट के सम्बन्ध में तो मैंने अर्ज किया । दूसरे उन लोगों के साथ व्यवहार के बारे में यह अर्ज करना है कि हमने अमीचन्द प्यारेलाल फर्म के बिजिनेस को बन्द करने का जो कदम उठाया उसके सम्बन्ध में उन लोगों ने कलकत्ता हाईकोर्ट में रिट पिटिशन दाखिल भी की और उसकी वजह से इंटेरिम इंजक्शन जारी हुआ । तीसरे 2-12-66 को एक अनस्टार्ड क्वेश्चन के बारे में जो पिछले मन्त्री महोदय थे उन्होंने जवाब दिया था । उन्होंने कहा था कि :

"It will not be possible or proper for the Ministry to make periodical reports on the work of an independent committee presided over by a former Chief Justice of India. The Ministry will, however, keep in close touch with the Committee and facilitate its work in every possible way towards early completion."

इसके बावजूद भी मैंने अर्ज किया कि जितनी इन्फार्मेशन मैं दे सकता हूं केसेज की फाइलों से वह मैंने इस हाउस के सामने रक्खी है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी के दो बार अपनी रिपोर्ट इस सदन को देने के बावजूद कमीशन को यह केसेज इस लिये दिये गये क्योंकि इसमें दो मिनिस्टर इन्वाल्व्ड थे और यह मिनिस्टर को अधिक मददगार होगा । परन्तु पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी का बयान पढ़ने के बाद यह बात स्पष्ट दिखी कि इसमें अधिकारी दोषी थे, और जिन को सरकार ने भी माना कि उनका दोष है । ऐसी स्थिति में क्या कमीशन के निर्णय के अनुसार उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई उनको हटाने के लिये की गई जिससे मालूम पड़े कि सरकार ने तत्काल कोई कदम उठाये हैं ?

डा० चेन्ना रेड्डी : मैंने पहले अर्ज किया कि दुएल तरीके से काम करना ठीक नहीं होगा । इसलिये हमने चन्द केसेज के सम्बन्ध में अलग से कोई कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझा ।

Shri D. C. Sharma: I have followed the replies given by the hon. Minister very closely. May I ask him whether he is justified in throwing to the winds all that was said on the floor of the House, whether he is justified in not calling for an interm report if not a final report, and whether he is justified in not taking any action against at least those firms which have not filed any kind of writ in any high court, Madras, Andhra Pradesh or any other State?

Dr. Chenna Reddy: It is not a question of throwing to the winds all the facts that were mentioned on the floor of the House. Government has considered them with all the consideration and attention and all the details are being made available to the committee which is now looking into it. I can appreciate the anxiety of the House. I can state that the committee is very anxious to complete its report I think before the end of this year they would submit their report

श्री मधु लिमये : फिर उन कम्पनियों को माफी दे रहे हैं ।

Shri Jyotirmoy Basu: Since the public impression in Calcutta is that the office of the Iron and Steel Controller is a den of corruption and wickedness, may I know how many cases of corruption and irregularities have been brought to the notice of the Government and the Vigilance Commission during the last three years.

श्री मधु लिमये : हजारों ।

Mr. Speaker: I have absolutely no objection to allow more supplementaries. But after 40 minutes, we are still on the second question for the day. I have been calling one member from this side and one from that. The hon. Minister has just taken over the portfolio, he has to study the subject thoroughly. Perhaps he may take a little more time to get the background of the whole subject. Naturally perhaps when we meet in

the next session, he will be able to give fuller information. For the present, if the House permits, I will go to the next question.

श्री मधु लिमये : इसीलिए मैंने कहा कि अगले सप्ताह लिया जाये इस को ।

श्री हुकम चन्द कछवाय: अध्यक्ष महोदय, इस एक घंटे में कम से कम 10 क्वेश्चन होने चाहिएं ।

अध्यक्ष महोदय . वह तो ठीक है लेकिन मैं क्या करू क्योंकि माननीय सदस्य हर एक क्वेश्चन पर सप्लीमेंटरीज करना चाहते हैं ।

Shri H. N. Mukerjee: Mr. Jyotirmoy Basu's question has gone on the record. That should be answered.

Mr. Speaker: He may not have the information available. That is why I made that observation.

Shri Jyotirmoy Basu: Sir, it is an important question.

Mr. Speaker: Can the charge of corruption in some office be answered in reply to a supplementary? You should also be reasonable. It is absolutely not relevant to this question.

Railway Accidents

\+

*172. **Shri Yashpal Singh:**
Shri C. C. Desai:
Shri George Fernandes:
Shri R. Barua:

Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the number of railway accidents which occurred during the last six months on all Railways (Zone-wise);

(b) the number of persons killed and injured and the loss of Railway property in each case separately;

(c) whether compensation has been paid to the next of kin on account of loss of life or property;

(d) if so, the details thereof;

(e) the findings of the Departmental Enquiry Committees or other Committees of Inquiry regarding the causes of these accidents; and

(f) the steps so far taken to prevent the recurrence of these accidents?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Parimal Ghosh): (a), (b) and (e) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-169/67].

(c) No compensation has been paid so far.

(d) Does not arise.

(f) Steps to prevent recurrence of accidents include better training and safety education and stricter supervision over the working of Railway staff and deterrent punitive action against those causing accidents. In addition, safety aids like speed recorders, better signalling devices etc. have been extensively provided Efforts also continue to improve the maintenance of Railway equipment.

श्री यशपाल सिंह : जैसा कि माननीय श्री एस० के० पाटिल ने कहा है कि उनको बदनाम करने के लिए कुछ पार्टियो ने सैबोटेज वर्क किया और सैबोटेज की वजह से यह दुर्घटनाएं हुई तो सरकार की इसमें राय क्या है और उन का वह बयान किस हद तक सही है ?

श्री मधु लिमये : जनता ने उसका जवाब दिया है ।

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): In the statement furnished we have given the detailed break-up of the number of accidents due to various causes. If the hon. member peruses it, he will find that the number of cases relating to tampering of track and sabotage is only 5 out of 341.